तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 2005 / 335 / श्रीगंगानगर** **देवेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-6-2026	**एकलपीठ** **डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य** **उपस्थित :-** श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अपीलार्थी श्रीमति अर्चना गौतम, उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी -- **निर्णय** 1- यह अपील अर्न्तगत धारा-76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 19-10-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2- प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 4 बीपीएस के मुरब्बा नम्बर-116/326 रकबा 1.416 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट के पिता काशीराम का कब्जा काश्त सम्वत् 2022 के पूर्व से चला आ रहा था तथा उनका स्वर्गवास होने पर विवादग्रस्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। अपीलान्ट ने विवादित आराजी बाबत एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट काशीराम का पुत्र है तथा काशीराम को आवंटित टीसी रकबा पर वह काबिज है, अतः अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि पुख्ता आवंटित की जावे। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने बिना जांच किये अपने आदेश दिनांक 28-7-1999 द्वारा प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 28-7-1999 के विरूद्ध अपीलान्ट ने विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 19-10-2004 द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>अपील / एलआर / 2005 / 335 / श्रीगंगानगर</u>** **देवेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई।

4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय क्रमशः दिनांक 19–10–2004 एवं 28–7–1999 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विरूद्ध होने से काबिल निरस्तनीय है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये बिन्दुओं पर निर्णय नहीं कर सरसरी तौर पर अपील अस्वीकार कर दी। अपीलीय न्यायालय को प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को जांच कर उचित आदेश पारित करने के लिये भिजवा देना चाहिये था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर अपने अस्पष्ट एवं कारण रहित आदेश द्वारा अपील खारिज कर दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने मात्र इसी आधार पर आदेश पारित करने में त्रुटि की है कि विवादित भूमि पर देवेन्द्र कुमार पुत्र काशीराम को कोई रकबा टी.सी. पर आवंटित नहीं है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट के पिता काशीराम का कब्जा सम्वत 2022 के पूर्व से चला आ रहा था तथा वर्तमान में भी अपीलान्ट विवादग्रस्त भूमि पर काबिज है। इस आधार पर अपीलान्ट स्थायी आवेदन का अधिकारी होना बनता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय क्रमशः दिनांक 19–10–2004 एवं 28–7–1999 निरस्त किये जावें तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को निर्देश दिलवायें कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र जांच कर तहसीलदार मुकलावा से रिपोर्ट तलब कर विधिअनुसार निर्णय प्रदान करें।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि पुख्ता आवंटन उन्हीं व्यक्तियों को किया जा सकता है जो कि पूर्व में उस भूमि के टी.सी. धारक हों। अपीलान्ट को आराजी जैर अपील टी.सी. आवंटित नहीं हुई है तथा वह इस भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 2005 / 335 / श्रीगंगानगर** **देवेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर मात्र अतिक्रमी के रूप में काबिज है और इसी कारण उन पर तावान लगा है। पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट पर उपलब्ध है जिसमें स्पष्ट अंकित है कि अपीलान्ट टी.सी. आवंटी नहीं है। अपीलान्ट ने स्वयं इस तथ्य को अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलान्ट पुख्ता आवंटन कराने का पात्र नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है। 6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। 7– पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख अनुसार अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि के पुख्ता आवंटन हेतु आवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उसका भूमि पर टी.सी. आवंटी नहीं होने के कारण उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवेदन खारिज कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उसका टी.सी. आवंटी नहीं होकर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा काश्त होना विवेचित कर अपील खारिज की गई है। पुख्ता आवंटन पूर्व से टी.सी. आवंटी होने पर ही किया जा सकता है, अतः सुविचारित मत है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में ऐसी कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है जिससे उनमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तेक्षम किया जा सके। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्तनीय है। 8– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील सारहीन होकर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार रहे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय सुनाया गया। **(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील / एलआर / 2005 / 335 / श्रीगंगानगर** **देवेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए